न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 512/2018

प्राथीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 भूरसिंह 2 गुलाबसिंह पिसरान कूम्पसिंह 3 पन्नेसिंह पुत्र महादानसिंह जाति राजपूत निवासी आटी तहसील व जिला बाडमेर।		1 भैरसिंह 2 मूलसिंह पिसरान लालसिंह जाति राजपूत निवासी आटी तहसील व जिला बाडमेर 3 प्रबन्धक एसबीआई शाखा बाडमेर 4 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री मुकेश जैन वकील प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 15/01/20

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा आटी पटवार क्षैत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 112 रकबा 38.01 बीघा खसरा संख्या 122 रकबा 89.04 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खेत खसरा नम्बर 114 रकबा 59.00 बीघा में से रास्ते से सरकारी रास्ते तक जाने का एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाये अनुसार भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की और से वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रस्तुत नही किया गया। तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा उनके पत्रांक भूअ./2019/6048 दिनांक 04.12.2019 के द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि प्रार्थीगण के मौजा आटी पटवार क्षैत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 112 से आटी से जुनापतरासर मुख्यमार्ग तक आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि मौजा आटी पटवार क्षैत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 114 में से रास्ते हेतु रकबा 01.07 बीघा भूमि बनती है, जो मौके पर खाली है, इसके अतिरिक्त कोई नजदीकी विकल्प नही पाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन स्वीकार है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। मौजा आटी पटवार क्षैत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 112 रकबा 38.01 बीघा खसरा संख्या 122 रकबा 89.04 बीघा भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 114 में से रास्ते हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि से मुख्यमार्ग तक जाने हेतु ग्राम आटी पटवार क्षैत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 114 रकबा 59.00 बीघा में से रकबा 01.07 बीघा भूमि जो संलग्न नक्शा में बरंग हरा दर्शाया है। उक्त भूमि की डीएलसी दर की दूगुनी राशि प्रार्थीगण राजकोष में जमा करावे। तहसीलदार बाडमेर उक्त राशि जमा करवाने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थीगण भैरसिंह, मूलसिंह पिसरान लालसिंह जाति राजपूत निवासी आटी तहसील व जिला बाडमेर को भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'ब' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 15/01/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

E:\SDM Barmer\...

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.02.24 15:39:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: